चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

प्रबन्ध मण्डल की १३८वीं बैठक का कार्यवृत्त।

दिनाँक : २०.०१.२००६
सभास्थल : कुलपति महोदय का समिति कक्ष
समय : अपरान्ह १:०० बजें

उपस्थिति :-

१.	**प्रो० (डा०) वी०पी० कनौजिया,** कुलपति	अध्यक्ष
२.	**श्री हरिओम,** विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ०प्र० शासन, सचिवालय, लखनऊ	सदस्य
३.	**श्री भरत लाल राय,** अपर निदेशक कृषि (प्रशासन), उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
४.	**श्री राम शिरोमणि शुक्ल,** सदस्य विधान सभा, शुक्ला भवन, ७८१/२ डी०, बाधम्बरी गद्दी रोड, नेह निकुंज कलोनी, अल्लापुर, इलाहाबाद	सदस्य
५.	**श्रीमती अरूणा तोमर,** सदस्य विधान सभा, ५६८, सफीपुर, लाल बंगला, रामादेवी चौराहा, कानपुर	सदस्या
६.	**श्रीमती उर्मिला राजपूत,** पूर्व विधायक, पल्ला गल्ला मंडी, फरूखाबाद	सदस्या
७.	**डा० एस०एस० यादव,** ग्रा०-टोडरपुर, पो०-खेताबपुर, वाया-जखनिया, जिला-गाजीपुर	सदस्य
८.	**डा० रमेश यादव,** ८ विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ	सदस्य
९.	**श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह चन्देल,** १३३/१७२ पी, ट्रान्सपोर्ट नगर, सेन्ट्रल बैंक के सामने, कानपुर नगर - २०८ ०२३	सदस्य
१०.	**डा० जी०सी० तिवारी,** सहायक महानिदेशक (ई०पी०डी०), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान भवन-II, पूसा, नई दिल्ली-११००१२	सदस्य
११.	**श्री धर्मपाल,** वित्त नियन्त्रक, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर	प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि/सदस्य
१२.	**डा० हरेन्द्र सिंह,** उप निदेशक, पशुपालन, उ०प्र०	निदेशक पशुपालन के प्रतिनिधि/सदस्य
१३.	**श्री सुरेश पचौरी (पूर्व प्रधान),** ग्राम-नौहरिका, पोस्ट-इरादत नगर, जनपद-आगरा	सदस्य
१४.	**श्री० पी०एस० चौधरी,** अर्थ नियन्त्रक	सचिव

सर्वप्रथम कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल ने मा० सदस्यों का स्वागत किया।

मद संख्या १	:	**चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनॉक ३०.०६.२००८ को सम्पन्न हुई १३७वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।** प्रबन्ध मण्डल ने १३७वीं बैठक दिनॉक ३०.०६.२००८ की कार्यवृत्त का अनुमोदन/पुष्टि कर दी।
मद संख्या २	:	**चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की १३७वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।** प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव की पुष्टि कर दी। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा बैठक के अन्त में दिये गये निर्देश बिन्दु सं०-३ में आई०सी०ए०आर० की केन्द्रीय सहायता के अपूर्ण उपयोग के बारे में श्री टी०पी० दुबे के प्रकरण में निर्णय लिया गया कि श्री दुबे का स्थानान्तरण आदेश सं०:सीएसयूएच-१७८५/ २००८ दिनॉक २.१०.२००८ निरस्त करते हुए कुलपति द्वारा जॉच अधिकारी नियुक्त कर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय एवं प्रस्ताव सम्पूर्ण तथ्यों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय, तब तक श्री टी०पी० दुबे से केन्द्रीय सहायता का कार्य न लिया जाय।
मद संख्या ३	:	**कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम १९५८ की धारा-११(१) के प्राविद्यानानुसार नये कुलपति के चयन हेतु गठित होने वाली सर्च कमेटी में कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबन्ध परिषद द्वारा एक सदस्य नामित करने पर विचार।** कार्यवाही अलग से की गयी है।
मद संख्या ४	:	**वित्तीय वर्ष २००८-०९ में आयोजनागत पक्ष में व्यय की स्वीकृति/ अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।** प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।
मद संख्या ५	:	**मा० प्रबन्ध मण्डल की १३७वीं बैठक दिनांक ३०.०६.०८ के मद संख्या-७ में लिये गये निर्णय के अनुपालन में शेष शोध सहायकों के विवरण पर विचार।** प्रकरण पर मा० प्रबन्ध मण्डल ने गहन विचार विमर्श किया तथा समस्त आलेखो एवं तथ्यों का परिशीलन किया। प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उत्तर प्रदेश शासन श्री हरिओम विशेष सचिव, द्वारा प्रकरण पर अपनी आपत्ति दर्ज करायी गई। डा० जी०सी० तिवारी, सहायक महानिदेशक, कृषि शिक्षा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली एवं प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त व निदेशक कृषि, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियो ने इस प्रकरण पर शासन की अनुमति लेने को कहा। अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल डा० वी०पी० कनौजिया द्वारा यह कहा गया कि मेरी नियुक्ति कार्यवाहक कुलपति के रूप में धारा-११(७) के तहत हुई है। प्रकरण में वित्तीय उपाषय निहित है, ऐसे अधिकार मुझे नहीं है। ऐसे प्रकरणों पर नियमित कुलपति द्वारा निर्णय लेना ही उचित

		होगा। प्रबन्ध मण्डल के सदस्य मा० श्री राम शिरोमणि शुक्ला, श्रीमती अरुणा तोमर, श्रीमती उर्मिला राजपूत एवं श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह चन्देल द्वारा प्रकरण शासन को संदर्भित न किये जाने पर बल दिया गया एवं कहा कि यह अधिकार प्रबन्ध मण्डल में निहित है फिर भी प्रबन्ध मण्डल ने स्नातकोत्तर उपाधि धारक शोध सहायको को सहायक प्राध्यापक/वैज्ञानिक/एस०एम०एस० ग्रेड वेतनमान रू० ८०००-१३५०० अनुमन्य कराने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में शेष ८ शोध सहायकों को उनकी लम्बी एवं उपयोगी सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुयें जिसका पुनरीक्षित वेतनमान रू० ५५००-६००० है, इस वेतनमान के उच्चतम स्तर पर रू० ६०००/- अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया। अंततः प्रस्तुत प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।
मद संख्या ६	:	**प्रबन्ध मण्डल की १३७वीं बैठक दिनांक ३०.०६.०८ के मद संख्या-१० में लिये गये निर्णय के अनुपालन में अभिलेखीय पूर्ण विवरण सहित श्री एन०आई० चुगताई, सहायक अभियन्ता (सिविल) वेतनमान रू० ८०००-१३५०० को विश्वविद्यालय अभियन्ता वेतनमान रू० १००००-१५२०० के पद पर पदोन्नति किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि सम्बन्धित योजित याचिका पर प्रभावी पैरवी कर स्थगनादेश रिक्त (Stay Vacate) कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तदोपरान्त मा० उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाय तथा सम्पूर्ण प्रकरण प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
मद संख्या ७	:	**विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के उपार्जित/चिकित्सा अवकाश की स्वीकृत हेतु प्रस्ताव।** प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।
मद संख्या ८	:	**उत्तर प्रदेश शासन ने छटवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किये जाने विषयक गठित वेतन समिति (२००८) के प्रथम प्रतिवेदन तथा उसकी संस्तुतियों विषयक निर्गत विभिन्न शासनादेशों को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने की स्थिति संज्ञान में लिये जाने विषयक प्रस्ताव।** प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।
मद संख्या ९	:	**गैर शैक्षिक पदों पर, नियुक्ति के प्राधिकार कुलपति महोदय में निहित हैं, नियुक्ति किये जाने हेतु वेतनमान की अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव।** प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या १०	:	**विश्वविद्यालय के मानव चिकित्सालय में छात्र-छात्राओं के हित में नियत वेतन (संविदा) पर कार्यरत चिकित्साधिकारी को कार्य पर बने रहने तक परिसर में आवास आवंटन के सम्बन्ध में प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।** प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।
मद संख्या ११	:	**विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या- ३८६०/६७-कृशिअ-०८-४००(५२)/०५ दिनांक २६.११.२००८ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में जॉच में दोषी पाये गये तत्कालीन कुलसचिव डा० आर०एस० बिसेन एवं निदेशक दूरस्थ शिक्षा डा० के०डी० उपाध्याय के विरूद्ध विभागीय/ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु जॉच कराने जाने विषयक प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल ने इस प्रकरण पर गहन विचार विमर्श किया। प्रबन्ध मण्डल ने माना कि प्रकरण में तत्कालीन कुलपति के आदेशों का ही पालन किया गया है। इनके स्तर पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितता नही प्रतीत होती है। अतएव शासनादेश के अनुपालन में शासन स्तर से ही जॉच अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध कुलपति अपने स्तर से कर लें।
मद संख्या ११(क)	:	**दूरस्थ शिक्षा के सम्बन्ध में कोठागुडम जनपद खम्मम आन्ध्रप्रदेश में दूरस्थ शिक्षा केन्द्र निदेशक द्वारा दायर याचिका में कार्यरत २ अधिकारियों के विरूद्ध जारी गैर जमानती वारन्ट के क्रम में यात्रा भत्ता एवं न्यायालय व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।** प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।
मद संख्या १२	:	**बायोपेस्टीसाइड नमूनों का परीक्षण शुल्क निर्धारण।** प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।
मद संख्या १३	:	**डा० एल०बी० सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केन्द्र, हमीरपुर को सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा विज्ञापित पद कार्यक्रम समन्वयक/सह निदेशक प्रसार पद पर चयन हो जाने के फलस्वरूप उनके मूल पद पर कार्यमुक्त होने के दिनांक से दो वर्ष का धारणाधिकार (लियन) स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।** प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया एवं निर्देश दिया कि कुलपति महोदय यह सुनिश्चित कर लें कि इस धारणाधिकार की अवधि में शिक्षण/शोध/प्रसार कार्य प्रभावित न हों। इस धारणाधिकार की अवधि में आवश्यकतानुसार शासन से अनुमति प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जाय।

मद संख्या १४	:	**डा० मो० अकरम, सहायक प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा विज्ञापित पद सीनियर सांइटिस्ट प्लान्ट पैथोलाजी जो आई०आई०पी०आर०, कानपुर का है, पर कार्यमुक्त होने के दिनांक से दो वर्ष का धारणाधिकार (लियन) उनके मूलपद पर सुरक्षित रखने सम्बन्धी प्रस्ताव।** प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया एवं निर्देश दिया कि कुलपति महोदय यह सुनिश्चित कर लें कि इस धारणाधिकार की अवधि में शिक्षण/शोध/प्रसार कार्य प्रभावित न हों। इस धारणाधिकार की अवधि में आवश्यकतानुसार शासन से अनुमति प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जाय।
मद संख्या १५	:	**कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम लागू करने विषयक शासनादेश संख्या-२६०-१२-८-२०००-४००(६३)/६६ए दिनांक ७.२.२००० के प्रस्तर १७ पर प्राविधानित व्यवस्था के स्थान पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यालय ज्ञाप दिनांक १६.२.२००० के प्रस्तर २.६ के अनुरूप विश्वविद्यालय में नियुक्त शिक्षकों/ समकक्षीय (शिक्षण, शोध, प्रसार) को लाभ अनुमन्य कराये जाने विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-३६७१/६७-कृशिअ-०८-२००(५१)/०६ दिनांक ०५ दिसम्बर २००८ को लागू किये जाने का प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार विमर्श इस शर्त के साथ किया गया कि शासनादेश के क्रम में स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सभी मानकों/तथ्यों के अनुसार ही नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया।
मद संख्या १६	:	**प्रगति आख्या (१६ सितम्बर, २००८ से ३१ दिसम्बर, २००८ तक) चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।** मा० प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या पूर्ण एवं विस्तृत विवरण सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
मद संख्या १७	:	**श्री पी०के० विसारिया, तकनीकी अधिकारी, श्री लालमणि, सहायक निदेशक (इंजीयिनरिंग), एवं श्री बी०एल० त्रिपाठी, सहायक निदेशक, (फूड टेक्नोजाली) को यू०जी०सी० वेतनमान अनुमन्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।** मा० प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव आगामी बैठक में विस्तृत विवरण सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
मद संख्या १८	:	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।**
पूरक १	:	**प्रबन्ध मण्डल की १३४वीं बैठक दिनांक १६.२.२००८ में प्राध्यापक पद हेतु वैयक्तिक प्रोन्नति हेतु वर्ष २००४ में कराये गये साक्षात्कार के परिणामों को साक्षात्कार समिति द्वारा बन्द लिफाफों को खोलकर किये गये अनुमोदन के विरूद्ध प्राध्यापक से प्राप्त प्रत्यावेदन तथा उनके द्वारा मा० उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-५४७७५/०८ पर लिये गये निर्णय पर विचार कर अनुमोदन करने का प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव आगामी बैठक में विस्तृत विवरण सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

पूरक २	:	**बाबा साहब डा० बी०आर० अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा को वर्ष १९९१ में मिलेट्री कैम्पिंग (पड़ाव ब्लाक) की हस्तान्तरित हुई भूमि के खसरा सं०-३५५ में से ७०० वर्ग गज भूमि "पूर्व सेनानी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा केन्द्र" के निर्माण हेतु डिफेन्स आफीसर, आगरा सर्किल, आगरा के पत्र दिनाक ३०.०४.२००८ के क्रम में रक्षा विभाग को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।
पूरक ३	:	**प्रबन्ध मण्डल की १३७वीं बैठक में मद संख्या-२ पर दिये गये** निर्देशानुसार **डा० आशीष कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक के उपार्जित अवकाश के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव आगामी बैठक में विस्तृत विवरण सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
पूरक ४	:	**"Establishment of Plant Health Clinic" नामक परियोजन के विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव।** प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।
पूरक ५	:	**महामहिम कुलाधिपति महोदय के निर्णय पत्र सं०-ई-६२०२/जीएस दिनांक २४.११.१९९३ एवं मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या-३३०१६/१९९४ पर पारित निर्णय दिनांक १८.१०१९९४ के अनुपालन स्वरूप डा० महेश सिंह, सहायक प्राध्यापक को अपने से कनिष्ठ डा० दल श्रृंगार सिंह व अन्य के दिनांक से प्रोन्नति लाभ अनुमन्य कराये जाने का प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव आगामी बैठक में विस्तृत विवरण सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
पूरक ६	:	**१३ शिक्षकों को सैद्धान्तिक निरन्तरता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल के सम्मानित सदस्यों द्वारा मा० अध्यक्ष महोदय की अनुमति से १३ शिक्षकों को सैद्धान्तिक निरन्तरता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस पर मा० प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक निरन्तरता प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया कि इस अवधि का केवल वेतन वृद्धि व एरियर का लाभ देय नही होगा।
		बैठक के अन्त में मा० सदस्यों द्वारा कुछ बिन्दुओ पर निम्नलिखित निर्देश दिये गये :- १. कृषि विज्ञान केन्द्र दलीपनगर में कार्यरत स्टाफ को एन०ए०आर०पी० शोध केन्द्र दलीपनगर की भाँति नियमानुसार नगर भत्ता एवं आवास भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

२. डा० वी०के० सिंह के प्रकरण पर मा० प्रबन्ध मण्डल ने यह निर्देश दिये कि यह प्रशासनिक बिन्दु है अतः इस पर कुलपति महोदय द्वारा प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेकर आडिट आपत्ति का निस्तारण कराया जाय।

३. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित समस्त योजनाओं में रिक्त पदों को नियमानुसार अविलम्ब भरने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

४. जो शोध सहायक वेतनमान रु० ५००-६०० में कार्यरत हैं उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ नियमानुसार अनुमन्य कराया जाय।

५. कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों को भी कैरियर एडवांसमेन्ट का लाभ अनुमन्य कराया जाय।

६. मा० प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि अगली बैठक माह अप्रैल में सम्पन्न कराई जाय।

अन्त में बैठक अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद उपरान्त समाप्त हो गयी।

अनुमोदित

{प्रो० (डा०) बी०पी० कनौजिया}
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल

{पी०एस० चौधरी}
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल